Section 24 : Laying of rules, regulations and notifications

Every rule made by the Central Government, every regulation made by the Board and every notification issued by the Central Government under this Act, shall be laid, as soon as may be, after it is made or issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or in the notification, as the case may be, or both Houses agree that the rule or regulation or the notification should not be made, the rule or regulation or notification, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation or notification, as the case may be.

धारा 24 : नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना

इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा या रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में हो, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, या ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना निष्प्रभाव हो जाएगा या जाएगी। किन्तु, यथास्थिति, नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे प्रवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।